

अनवान

1. प्रतापसिंह आत्मज मदनसिंह राजपूत निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थी

बनाम

1. भगवानलाल आत्मज शंकर कुमावत
2. रामलाल आत्मज शोभालाल कुमावत
3. गोपीलाल आत्मज मोहन कुमावत
4. अमरसिंह आत्मज जयसिंह राजपूत
5. जब्बरसिंह आत्मज जयसिंह राजपूत
6. किशनसिंह आत्मज जयसिंह राजपूत
7. भवंरबाई बेवा जयसिंह राजपूत
8. देवीसिंह आत्मज मदनसिंह राजपूत
9. चन्द्रकंवर पुत्री मदनसिंह राजपूत
10. धापुकंवर पुत्री मदनसिंह राजपूत
11. देऊकंवर पुत्री मदनसिंह राजपूत
12. सोहनकंवर बेवा मदनसिंह राजपूत
13. मनोहरकंवर पत्नि शंभुसिंह राजपूत

सर्व निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी:- श्री मनीष दाघीच

अधिवक्ता विपक्षीगण:-.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-31.07.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम मटुनिया पटवार हल्का चावण्डिया तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1283 रकबा 0.28 हे0 कुल कित्ता 01 रकबा 0.28 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 03 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमावन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र द्वारा दिया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 6 एवं 8 लगायत 13 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। एवं विपक्षी संख्या 7 के विरुद्ध प्रार्थी अधिवक्ता ने कोई दाद नहीं चाही। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

वाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम मटुनिया पटवार हल्का चावण्डिया तहसील सहाड़ा की बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजियात संख्या 1283 रकबा 0.28 हे0 कुल कित्ता 01 रकबा 0.28 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 03 पर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काशत में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीया अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



अधिकारी
उप-विभागाध्यक्ष
गंगापुर (भीलवाड़ा)